हर इंसान – एक समान

एक राष्ट्र – एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी–3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9–10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर–सी, झोटवाड़ा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंज: पं0 जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार , मो. 98290– 78682

प[illegible]शर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133–89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144–08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष,मो. 94140–95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :–

जयपुर
योगेन्द्र मेघसर
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225

अजमेर
एन. के. झामड़
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

[illegible]र
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक –पत्र)
मो. 9314962106

क्रमांक 27994-28123

दिनांक : 16.09.2015

श्रीमान कल्याण सिंह जी,
माननीय राज्यपाल महोदय,
राजभवन, जयपुर ।

विषयः– भारतीय संविधान और राज्यपाल पद एवं प्रजातंत्र के मंदिर विधानसभा की विश्वसनीयता बचाने हेतु ।

संदर्भः– राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में लाये जा रहे आरक्षण बिलों को रोकने हेतु।

महोदय,

आप यह जानते है कि समता आन्दोलन इस देश का सबसे बड़ा समतावादी संगठन है जो आरक्षण नियमों को अक्षरशः संवैधानिक प्रावधानों की पालना करवाते हुये लागू कराने को संघर्षरत है ताकि आरक्षण का लाभ वास्तविक दलितों और पिछड़ों एवं पात्र नागरिकों तक पहुंच सके और उनका तेजी से उत्थान हो सके। इस हेतु हम आपकी जानकारी में लाना चाहते है किः–

1. **राज्य सरकार द्वारा आरक्षण अधिनियम–2008 पूरे 200 विधायकों की सहमति से पारित करवाया गया था जिसे हमारी याचिका संख्या 1862 / 2013 में उठाये गये कुल 80 विधिक और सैंवधानिक प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाने के कारण रिपील किया जाने का हाईकोर्ट में अभिवचन देना पड़ा। इस कृत्य से राजस्थान विधानसभा और राज्यपाल जैसी पवित्र संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंची है।**

2. **अब पुनः राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में जल्दबाजी में 5 प्रतिशत एसबीसी आरक्षण और 14 प्रतिशत ईबीसी आरक्षण बिल लाये जा रहे हैं जिनका वही हाल होना सुनिश्चित है जो आरक्षण अधिनियम–2008 का हुआ क्योंकि :–**

   (अ) **यह सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ भी यह निर्णय दे चुकी है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा संविधान में संशोधन करवाये बिना ईबीसी को आरक्षण का विधेयक लाया जा रहा है जो केवल मात्र छलावा है।**

   (ब) **राज्य सरकार द्वारा हमारी याचिका संख्या 1862 / 2013 में उठाये गये कुल 80 (अस्सी) विधिक एवं संवैधानिक प्रश्नों में से अभी तक एक का भी निदान नहीं किया गया है।**

   (स) **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हमारी याचिका संख्या 13491 / 2009 पर दिनांक 22.12.2010 को दिये गये निर्णय में सम्पूर्ण आरक्षण व्यवस्था की संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर समीक्षा करने के निर्देश दिये गये थे, जिसकी आज तक पालना नहीं की गयी है।**

   (द) **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अर्जुन सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि के अनेक प्रकरणों में दिनांक 10.08.2015 को दिये गये निर्णय में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि राज्य सरकार पहले कानून बनाकर स्थायी ओबीसी आयोग का गठन करें और फिर ओबीसी की सूची में शामिल तथा शामिल होने की इच्छुक सभी जातियों / वर्गों का संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के जरिये परीक्षण करवायें उसके पश्चात ही किसी जाति या वर्ग को आरक्षण देने के बारे में निर्णय करे। यह भी ध्यान रखा जावे कि पिछड़ेपन की परिभाषा जाति आधारित नहीं हों। लेकिन सरकार द्वारा इन बाध्यकारी निर्देशों की पालना किये बिना ही उक्त विधेयक लाये जा रहे हैं।**

(क्रमशः — 2)

(य) राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 2001 में ही पिछड़ा वर्ग को तीन वर्गों में बांटने की सिफारिश कर चुका है ताकि वास्तविक पिछड़ों तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके। राज्य सरकार द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण इस बाध्यकारी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया और अब इस रिपोर्ट के विरोध में जाकर एसबीसी और ईबीसी को आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है जो पूरी तरह पिछड़ा विरोधी कदम है।

ऐसी परिस्थितियों में आपसे प्रार्थना है कि राज्य में प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर अर्थात विधानसभा तथा राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद अर्थात राज्यपाल पद की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कृपया राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वह :

(अ) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22.12.2010 एवं 10.08.2015 में दिये गये बाध्यकारी निर्देशों की पालना के बिना उपरोक्त आरक्षण बिल पारित नहीं करवायें।

(ब) समता आन्दोलन की याचिका संख्या 1862/2013 में उठाये गये कुल 80(अस्सी) विधिक एवं संवैधानिक प्रश्नों का निदान करने से पहले उक्त आरक्षण बिल पारित नहीं करवायें।

(स) राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 2001 में प्रस्तुत नौवीं रिपोर्ट के विरोध में जाकर उपरोक्त आरक्षण बिल पारित नहीं करवायें।

(द) आरक्षण बिलों का इमानदार उद्देश्य राज्य के वास्तविक पिछड़ों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाना रखे ना कि आरक्षण के नाम पर राजनीति करने वाले तथाकथित सामाजिक नेताओं के दबाव में आकर जनता को गुमराह करना या टाईम पास करना।

(य) अराजकता फैलने की कल्पना से भयाकांत होकर प्रदेश के वास्तविक पिछड़ों के उत्थान को नजरअंदाज करके प्रथम दृष्टया असंवैधानिक विधेयकों को कानून बनवाने के लिए विधानसभा एवं राज्यपाल जैसी पवित्र संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग नहीं करें।

सादर सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में अग्रिम धन्यवाद,

भवदीय,

ह0

(पाराशर नारायण)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि:—

1. माननीय सांसद श्री/श्रीमती/सुश्री———————— को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राज्य सरकार को जनता द्वारा दिया गया प्रचण्ड बहुमत का दुरूपयोग करके प्रथम दृष्टया असंवैधानिक बिलों को पारित करवाके पिछड़ों को गुमराह करने से रोके।
2. माननीय विधायक श्री/श्रीमती/सुश्री———————— को प्रेषित कर निवेदन है कि राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक बिलों को पारित कराने से रोक कर आपके राष्ट्रवादी मतदाताओं की रक्षा करे।

(पाराशर नारायण)

अध्यक्ष